217

श्री राजकुमार प्रसाद द्विवेदी
द्वारा पेश 5-11-14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

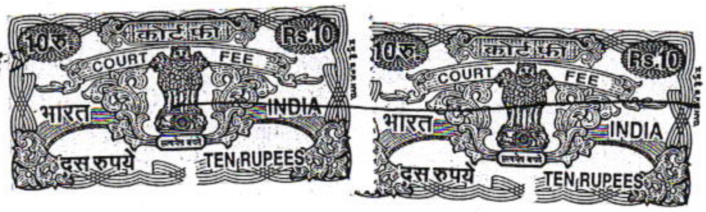

R- 3892-III/14

473
5-11-14

राजकुमार उर्फ
1. बब्बू साकेत तनय नन्द लाल साकेत

2. नन्द लाल साकेत पिता मोहन लाल साकेत

दोनो निवासी ग्राम चोरगढी थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला

रीवा (म0प्र0) ----निगरानीकर्तागण

बनाम

प्रियंका साकेत तनय राकेश साकेत उम्र 10 साल नाबालिक बली सरपरस्त

नाना भैया लाल साकेत तनय देवनारण साकेत निवासी ग्राम चिरहुला

(ललपा) तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ---गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक______
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक______को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार

तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/14-15 आदेश दिनांक 19-8-14

- -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

सन् 1959 ई0 ।

- -

क्रमांक 3628
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13-11-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2. यह कि यह तथ्य निर्विवाद है कि गैरनिगरानीकर्ता प्रियंका साकेत

राजकुमार

[signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3892-III/14 जिला रीवा

बब्बू / प्रियंका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	मैंने आवेदक-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। ऐसा करने पर मुझे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपने आक्षेपित आदेश दि. 19-8-14 से प्रकरण के गुणदोष के बिन्दुओं को प्रारंभिक रूप से समझते हुए अपने समक्ष के अनावेदक को केवल मूल दावे का जवाब पेश करने का अवसर देने का निर्णय लिया है और तत्पश्चात साक्ष्य और जवाब हेतु कार्यवाही का लेख किया है। इस न्यायालय के समक्ष निगरानीकार पक्ष का कहना है कि तहसील न्यायालय में गैरनिगरानीकार प्रियंका (नाबालिग) की ओर से जो आवेदन लगाया गया है, उसमें उसके संरक्षक बतौर उसके नाना को दिखाया गया है, जबकि वाद भूमि प्रियंका के पिता के खानदान की है, ऐसे में प्रियंका के नाना के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश (निगराकारों को तो मृत प्रियंका के पिता के परिवार के हैं)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संरक्षक दिखाए जाने से उन्हें शंका है कि प्रियंका की विधवा माँ का पुनर्विवाह कर वादभूमि अन्य के हित में अंतरित कर दी जाएगी, जबकि वह (प्रियंका के पिता के) संयुक्त हिन्दु परिवार के स्वत्व की और उसके धन से खरीदी गई सम्पत्ती है। प्रकरण में विचारोपरान्त मेरा मानना है कि अभी निगराकारों को तहसीलदार के समक्ष उक्त सभी बिन्दु उठाने और अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है और तहसीलदार ने उन्हें ऐसा अवसर देने का निर्णय लेकर उसका स्पष्ट भी किया है। ऐसे में इस स्टेज पर मैं यह निगरानी वा.म. में ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं पाता हूँ और तहसीलदार को इस निर्देश के साथ अग्राह्य करता हूँ कि वे उपरोक्त सारे निगराकारों के सभी बिन्दुओं का विधिवत निराकरण करें। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो।	